

26.12.25 पठावली प्रार्थनापत्र लार्जी चंद्रयाम
आदि द्वारा पेश होने पर पेशी में ली
गई। लार्जी ने वादपत्र Restore करने
का निवेदन किया। अविबक्ता वाली को
सुना गया। पठावली का गेवलोक्त किया
गया। वादपत्र डिगंक 3.06.2019 को दर्ज
रजिस्ट्रार किया गया व तलबी लेव
पठावली रखी गई। डिगंक 17/2/2020
को पुनः सम्मन तलबाना पेश करने
की हिदायत दी गई। क्योंकि शोध की
पालना नहीं हुई। न्यायालय द्वारा पुनः
डिगंक 29.01.2020 को रजि. सम्मन तलबाना
पेश करने के वाही को निर्देश दिये =
बावजूद इसके सम्मन तलबाना पेश नहीं
किये। डिगंक 17/8/2024 को अंतिम अवसर
वास्ते तलबी जारी किया गया। डिगंक
18.9.2023 को अंतिम हिदायत वास्ते तलबी
दी गई। वाही को पर्याप्त अवसर बाद
भी तलबी नहीं करवाने पर वादपत्र
डिगंक 5/7/24 को अदम पूर्वो में खारिज
किया गया। प्रार्थीवाही के डिगंक 7.8.24
प्रार्थनापत्र वास्तु कावा Restore पर न्यायाधिक
में रुक और अवसर प्रकाश कर वादपत्र
Restore किया गया।

वादपत्र Restore उपरांत भी वादी
द्वारा तलबी पूर्ण नहीं कराई गई
इसलिये इस न्यायालय के आदेश 7/10/25

कारा वाद पत्र सम्मन तलबना अभाव में
स्वार्थित किया गया है इसलिये वादी
कारा प्रस्तुत वादपत्र पुनः स्थापित प्रमाण
पत्र पोषणिय नही देने के कारण
अल्कीकार कर स्वार्थित किया जाता
है पत्रावली दाखिल कम्प्लर रहे / अदेश
सुनाया गया 